बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना–06

द्वितीय प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा–2023

आवश्यक दिशा निर्देश

बिहार पंचायत/नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006, 2008 एवं यथा संशोधित 2015 के अनुसार नियोजित प्रारम्भिक शिक्षकों (पंचायत शिक्षक,प्रखण्ड शिक्षक एवं नगर शिक्षक) के लिए तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद मूल्यांकन (दक्षता जाँच) परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है। मूल्यांकन के आधार पर सामान्य कोटि (पुरूष एवं महिला) के अन्तर्गत न्यूनतम 45% अंक एवं आरक्षित कोटिः– पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) के अन्तर्गत न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के वेतन में नियमानुसार वेतन वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के वेतन वृद्धि देय नहीं है। दिव्यांग श्रेणी के शिक्षकों को जाति कोटि के अनुसार उत्तीर्णाक की गणना करने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा नियोजित शिक्षकों की प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा प्रथम दिनांक 15.10.2009 को, द्वितीय दिनांक 20.02.2011 को, तृतीय दिनांक 19.10.2013 को, चतुर्थ दिनांक 19.07.2016 एवं पंचम दिनांक 18.06.2023 को आयोजित किया गया था। प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) 2023 का आयोजन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार अर्हताधारक शिक्षकों से Online आवेदन प्राप्त किया गया था। परीक्षा आयोजन के क्रम में परिषद् को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कई अहर्ताधारक शिक्षक तकनीकी कारणो से Application form को Submit करने से वंचित रह गए हैं। ऐसे मामले प्रकाश में आने के उपरान्त निदेशक प्रा० शि०, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–785, दिनांक 04.07.2023 के द्वारा पुनः वैसे सभी अहर्ताधारक शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जो किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके है। दिनांक 18.06.2023 को आयोजित परीक्षा में कई शिक्षकों के द्वारा सूचना दी गई थी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा अप्रशिक्षित (Untrained) होने के कारण उनके आवेदन पत्र को Reject कर दिया गया है। उक्त शिक्षकों के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित शिक्षक/प्रधानाध्यापक/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि सन्दर्भित शिक्षकों को नियोजन इकाई के द्वारा अप्रशिक्षित होने के कारण सेवा समाप्त कर दी गई है तथा वे कार्यरत नहीं है फिर भी परीक्षा हेतु आवेदन किये है तो उनके आवेदन पत्र को Reject कर दिया जाय। यदि कोई अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियोजन इकाई के द्वारा सेवा से मुक्त नहीं किया गया है अथवा सेवा मुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के आवेदन पत्र को Approve कर दिया जाय एवं सेवा समाप्ति के उपरान्त इस आशय की सूचना परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय, कि सम्बन्धित शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई है एवं वे अब कार्यरत नहीं है, ऐसे शिक्षकों का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में परिषद् कार्यालय द्वारा ऐसे शिक्षकों को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा एवं परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। दिनांक 18.06.2023 को आयोजित परीक्षा में जो परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हैं एवं उक्त परीक्षा में वे अनुत्तीर्ण हुए है वे इस परीक्षा में किसी भी परिस्थिति में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे, परन्तु वैसे शिक्षक जिन्होंने दिनांक 18.06.2023 को आयोजित परीक्षा में आवेदन पत्र में गलत शिक्षक कोटि प्रविष्ट कर दिया था वे इस परीक्षा सही शिक्षक कोटि की प्रविष्टि कर परीक्षा में शामिल हो सकते है। द्वितीय चरण पंचम दक्षता परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–24.09.2023 (रविवार) को आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैः–

1. यह दक्षता परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना (एस.सी.ई.आर.टी.) द्वारा पटना स्थित निर्धारित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक–24.09.2023 को पूर्वाह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
2. परीक्षा का आयोजन निम्न कार्यक्रमानुसार की जाएगी।

1.	परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों के SCERT, Patna के Website पर Online Application भरने की तिथि	31.08.2023	09.09.2023
2.	शिक्षकों के द्वारा भरे हुए Application Form के Print Copy का विद्यालय प्राचार्य द्वारा सत्यापित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराने की तिथि	31.08.2023	09.09.2023
3.	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सम्बंधित प्राचार्य द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र का Print Copy के आधार पर SCERT, Patna के Website पर Online Verification की तिथि	09.09.2023	14.09.2023
4.	Online प्रवेश पत्र प्राप्त करना	14.09.2023	24.09.2023
5.	परीक्षा आयोजन की तिथि	24.09.2023	
6.	प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा–2023 के औपबन्धिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) Website पर Upload करने की तिथि	30.09.2023	
7.	परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों एवं औपबन्धिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) पर शिक्षकों के द्वारा आपत्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	05.10.2023	

3. दक्षता जाँच परीक्षा से सम्बंधित आवश्यक निर्देश :–
   i. बिहार पंचायत/नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006 एवं 2008 के आलोक में नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर्त्ता धारण करते हैं।
   ii. B.T.E.T. अथवा C.T.E.T. उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं हैं।
   iii. बिहार प्रारम्भिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं 2008 के अनुसार वर्ष 2006, 2007, 2010 एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि हेतु दक्षता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस हेतु नियोजित शिक्षकों को अधिकतम तीन अवसर दिया जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दक्षता जाँच परीक्षा में तीन बार अनुत्तीर्ण शिक्षकों को छः माह का प्रशिक्षण के उपरान्त चतुर्थ अवसर प्रदान करने का दिये गये आदेश के आलोक में ऐसे शिक्षक दक्षता जाँच परीक्षा में शामिल होने हेतु आवेदन कर सकते हैं। कतिपय शिक्षक अभी तक दक्षता जाँच परीक्षा में या तो शामिल नहीं हुए है अथवा परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, परन्तु अनुत्तीर्ण हो चुके है, फलस्वरूप इनकी वेतन वृद्धि अभी तक लंबित है, ऐसे शिक्षकों को निदेश दिया जाता है कि विभिन्न वर्षो यथा वर्ष 2009, 2010, 2013 एवं 2016 में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं एवं जिनकी सेवा तीन वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे निश्चित रूप से इस परीक्षा में सम्मिलित हों अन्यथा उन्हें इस अवसर का उपभोग कर लिया माना जायेगा, तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
   iv. प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता जाँच) परीक्षा में जो शिक्षक पूर्व में तीन बार असफल हो चुके है, उन्हें चौथी बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो शिक्षक वर्ष 2023 में आयोजित परीक्षा में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा असफल हो जाते हैं उन्हें बिहार/नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2006, 2008 एवं यथा संशोधित 2015 के अनुसार नियोजित प्रारम्भिक शिक्षक (पंचायत शिक्षक, प्रखण्ड शिक्षक एवं नगर शिक्षक) को अवसर की गणना करते हुए सेवा से हटा दिया जाएगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को उत्तीर्णता की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

v. वैसे शिक्षक जो पूर्व परीक्षा में कदाचार के आरोप में निष्कासित हो चुके हैं अथवा किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये है, वैसे शिक्षक भी परीक्षा में सम्मिलित होगें यदि किसी कारण वश शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें अवसर का उपभोग मानकर गणना की जाएगी।

vi. वैसे शिक्षक जिनकी सेवा तीन वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं एवं किसी कारणवश आवेदन नहीं भरते है अथवा परीक्षा में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं होते हैं तो वैसे शिक्षकों के अवसर की गणना करते हुए नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

vii. विगत वर्षो की परीक्षाओं में कुछ आवेदकों के द्वारा अपने मूल आवेदन पत्र में सामान्य श्रेणी अंकित किया गया था। परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त कुछ शिक्षकों के द्वारा जाति कोटि में संशोधन हेतु आवेदन दिया गया। परिषद् कार्यालय के द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमानुसार जाँचोपरान्त जाति कोटि में सुधार हेतु निदेशित किया गया, ऐसे में कई आरक्षित श्रेणी के शिक्षक 45 अंक से कम एवं 40 अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण हो गए है, ऐसे शिक्षकों को आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्रेणी के शिक्षकों की विवरणी सम्बंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा परिषद् कार्यालय को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेंगे।

viii. दृष्टिबाधित निःशक्त शिक्षकों एवं हाथ से लिखने में लाचार अस्थिजन्य निःशक्त शिक्षकों को केन्द्राधीक्षक के द्वारा नियमानुसार सहायक की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु लेखक का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो कक्षा– 8 के नीचे का सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र होंगे। सहायक का लाभ उसी शर्त पर दिया जाएगा जब सक्षम पदाधिकारी (Civil Surgeon) द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति हो। दुर्घटना ग्रस्त शिक्षकों को सहायक का लाभ नहीं दिया जायेगा।

ix. सामान्य शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और उर्दू शिक्षक के लिए प्रश्न पुस्तिका अलग–अलग होंगे, उर्दू शिक्षकों के लिए प्रश्न पुस्तिका उर्दू भाषा में रहेगा।

x. परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा भवन में अपने साथ किताब, चिटपूर्जा, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर, गणितीय या भौतिक चार्ट इत्यादि का उपयोग वर्जित होगा। कदाचार के आरोप में पकड़े जाने पर नियमानुसार अनुशासनिक/विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

xi. शिक्षकों के शिक्षक कोटि (सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक) अथवा जाति कोटि (सामान्य/आरक्षित श्रेणी) का निर्धारण मूल आवेदन पत्र के आधार पर किया जाएगा। भविष्य में शिक्षक कोटि अथवा जाति कोटि में सुधार नहीं किया जाएगा। अगर आवेदन पत्र में जाति कोटि अथवा शिक्षक कोटि में गलत सूचना अंकित करते है तो इसके लिए शिक्षक स्वंय जिम्मेवार होगें तदनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

xii. यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति/चयन सामान्य श्रेणी में हुआ है एवं वे आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आते है तो आवेदन पत्र के जाति कोटि में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण के आधार पर आरक्षित श्रेणी अंकित करेंगे।

xiii. मूल्यांकन हेतु पूछे जाने वाले प्रश्नों में 65–70% प्रश्न विषय–वस्तु से रहेगा। लगभग 20% प्रश्न शिक्षण कौशल एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित रहेगा। शेष लगभग 10% प्रश्न उनकी अभिरूचि एवं रिजनिंग से जुडे होंगे। प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा I-VIII तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लगाव (Linkage) माध्यमिक स्तर के हो सकते है।

4. <u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :–</u>

I. आवेदन–पत्र SCERT के Website पर Online निर्धारित तिथि **09.09.2023** तक भरा जाएगा।

II. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर्त्ताधारण शिक्षक के द्वारा SCERT, Patna के Website पर Online Application भरा जाएगा। भरे हुए Application form का Print Copy निकालकर पदस्थापित विद्यालय के प्राचार्य को समर्पित करेंगे प्राचार्य द्वारा Application Form को जाँचोपरान्त Application Form पर हस्ताक्षर एवं विद्यालय का मुहर लगाकर सम्बंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को भेजेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी Application Form के Hard Copy से जाँच करते हुए SCERT, Patna के Website/Portal पर Online Verify करेंगे। प्राचार्य द्वारा सत्यापित Application Form के Print Copy को भविष्य में किसी सन्दर्भ हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। सम्बनधित शिक्षक अपने प्राचार्य/DEO/DPO कार्यालय से सुनिश्चित हो लेंगे कि उनके द्वारा भरे गये Online Application Form को Online Verify कर दिया गया है अन्यथा की स्थिति में शिक्षक स्वयं जिम्मेवार माने जायेंगे।

III. आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा Approve नहीं किये जाने पर आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

IV. यदि शिक्षक किसी भी प्रकार का सूचना छुपाते हैं अथवा गलत अंकित करते हैं तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक के साथ–साथ नियमानुसार प्राचार्य एवं सम्बंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

V. यदि शिक्षक के द्वारा गलत जाति कोटि अथवा शिक्षक कोटि अंकित किया जाता है तो भविष्य में सुधार नहीं किया जाएगा।

VI. आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति मे Offline अथवा आवेदन पत्र की Print Copy स्वीकार नहीं किया जायेगा।

xiv. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त दिनांक– **30.09.2023** तक उक्त परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के Model Answer SCERT, Patna के बेबसाईट www.scert.bihar.gov.in पर upload कर दिया जाएगा। परीक्षा में पूछे गये किसी भी प्रकार के प्रश्न एवं उनके आदर्श उत्तर पर आपत्ति दिनांक–05.10.2023 तक प्रमाणिक साक्ष्य के साथ परिषद् कार्यालय के E-Mail ID-dakshataexam.scertpatna@gmail.com के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्न एवं उनके आदर्श उत्तर पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में परिषद् द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा मान्य होगी।

xv. प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा के Result Card में नाम, पदनाम, विद्यालय का नाम इत्यादि में सुधार Online भरे गए मूल आवेदन–पत्र के आधार पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में 01 वर्ष के अन्दर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा किया जा सकेगा। परीक्षाफल प्रकाशन के 01 वर्ष के बाद किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

xvi. दक्षता परीक्षा से सम्बन्धित सभी अभिलेख यथा Result Card प्रवेश पत्र इत्यादि भविष्य के किसी सन्दर्भ हेतु सावधानीपूर्वक संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में परिषद् द्वारा Result Card अथवा प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत नहीं की जाएगी।

xvii. इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत, परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष तक ही उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा क्योकि परीक्षाफल के प्रकाशन के 01 वर्ष के बाद Tabulation sheet के अतिरिक्त अन्य अभिलेख संधारित नहीं किये जाते हैं।

xviii. प्रारम्भिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा–2023 से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना/जानकारी SCERT, Patna के email id- dakshataexam.scertpatna@gmail.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों से प्राप्त Online आवेदन पत्रों की जाँच कर Portal पर Online Verify करेंगे। यदि किसी भी स्तर पर Application Online Verify/Approved नहीं किया जाता है एवं सम्बंधित शिक्षक का आवेदन पत्र नहीं भरने के कारण परीक्षा से वंचित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पूर्ण जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी तदनुसार उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कारवाई की जाएगी।

०४/२७.

सज्जन आर. (भा०प्र०से०)
निदेशक
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्,
बिहार, पटना